पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की गुरुवार, दिनांक 26.09.2024 को अपराह्न 4.30 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.08.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ 01 से 07 तक)**
टीपः कार्यवृत्त संलग्न है।

02. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.08.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर	B.Com. (C.A.)-I	40	2022–23	1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे. योग. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर 3. डॉ. अनिल तिवारी, दिशा कॉलेज, रामनगर, रायपुर
		D.C.A.	40		

निरीक्षण तिथि : 21.08.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **वैध है।**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **5.37 एकड़**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **20 लाख (15 लाख का नवीनीकरण करवाना है।)**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **2024 तक**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं का भवन है।**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **कम से कम 10 नये Configuration के Computer और Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **परिनियम 28 में वाणिज्य और कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की नियुक्त करने की आवश्यकता हैं**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **ग्रंथपाल है। पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय करने की आवश्यकता है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **खेलकूद का मैदान, Wi-Fi की सुविधा है।**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – --
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – ––
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
    - i. **कंप्यूटर एवं वाणिज्य विषय में परिनियम 28 में 2–2 शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है।**
    - ii. **पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है।**
    - iii. **नवीन Configuration के 10 Computer क्रय करनी की आवश्यकता है।**
    - iv. **पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii.	कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट, देवरी रोड, भाटापारा	PGDCA seat extension	20	2024–25	1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एस.जे. डहरवाल, फार्मेसी संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. अनिल तिवारी, दिशा कॉलेज, रामनगर, रायपुर

निरीक्षण तिथि : 25.07.2024

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – **वैध है।**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **5 एकड़**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **20 लाख**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – 20-05-2025
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं का भवन**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **पर्याप्त है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **पर्याप्त है।**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **पर्याप्त है।**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – **परिनियम 28 में 2 कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है।**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता – **ग्रंथपाल परिनियम 28 में नियुक्त है। पुस्तकें पर्याप्त है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **Green Campus**
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – ––
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – ––
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –

(1) परिनियम 28 में 2 कंप्यूटर शिक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

(2) पुरुष शौचालय में सफाई की व्यवस्था करना आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iii.	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	M.A.-III/IV Sem. Psychology	20	2024–25	1. डॉ. मीता झा, मनोविज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि 3. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		M.Sc. III/IV Sem. Botany	20		
		B.Sc.-II-Computer Science	40		

निरीक्षण तिथि : 14.09.2024

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – **शासकीय**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **शासकीय**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – ––
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – ––
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **हाँ**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **हाँ**

	7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **है।** 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **50 + 26** **22 कंम्प्यूटर** 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **कार्यभार को देखते हुए एक सहायक प्राध्यापक की आवश्यकता है। (मनोविज्ञान)** 10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **1376, विषय के लिए पर्याप्त है।** 11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **Library, खेल मैदान उपलब्ध है।** 12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **हाँ** 13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – — 14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **I. मनोविज्ञान में एक सहायक प्राध्यापक की आवश्यकता है।** **II. 10 नये Configuration के Computer की आवश्यकता है।** **III. Licensed Software की आवश्यकता है।** **IV. वनस्पति विज्ञान में विभिन्न उपकरणों, रसायनों, प्रायोगिक सामग्री आदि की आवश्यकता है।** **V. वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला और Computer Lab में एक–एक प्रयोगशाला सहायक की आवश्यकता है।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iv.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट फार ह्यूमन एक्सीलेंस (कॉलेज डिविजन) रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर	B.Com. -III- Compulsory Subject	60	2022–23	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. डी.के. वर्मा, शास. महावि. खरोरा, रायपुर 3. डॉ. ईला दीक्षित, महाराजा अग्रसेन महावि. रायपुर
		B.Com. -III- Computer Appl.	40		
		B.B.A.-III	40		
	निरीक्षण तिथि : 28.08.2024 1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **पंजीकृत है** 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **5.473** 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **5 लाख जमा किया चुका है। शेष शीघ्र की जावेगी।** 4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **N.A.** 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं का भवन है।** 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध है।** 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **कक्ष उपलब्ध** 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **20 Computer Lab उपलब्ध है।** 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **5 सहायक प्राध्यापकों की +2 अंशकालीन अस्थायी नियुक्ति की गई है। शेष की नियुक्ति किया जाना है।**				

	10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **कुछ पुस्तकें उपलब्ध है शेष का क्रय किया जाना है।** 11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **व्याख्यान कक्षा मेडिटेशन हॉल, प्रार्थना कक्ष** 12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **हाँ** 13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **इंडोमेंट की शेष राशि जमा की जानी है।** 14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **I. परिनियम 28 के तहत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।** **II. B.Com. IIIrd year & B.B.A. IInd year के लिये पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
V.	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महावि. मोपका–निपनिया, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा	B.Sc. -II- Botany, Zoology	90	2024–25	1. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा., पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. जयनारायण वर्मा, शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर 3. डॉ. श्रीमती सीमा गुप्ता, शास. नागार्जुन स्नातको. विज्ञान महावि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 21.09.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **NA**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **12.5 एकड़**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **N.A.**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **N.A.**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **वर्तमान में स्कूल के भवन में संचालित है।**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **विषयवार प्रयोगशाला की आवश्यकता है।**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **कुछ उपकरण उपलब्ध है और उपकरण की आवश्यकता है।**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **नियमित एवं अतिथि शिक्षकों को मिलाकर पर्याप्त है।**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **ग्रंथपाल नहीं है। कुछ किताबें उपलब्ध है परन्तु और पुस्तकों की आवश्यकता है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है।**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **कुछ कमीयों को दूर कर दिया गया है।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **निरंक**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **विषयवार प्रयोगशाला की आवश्यकता है। नियमित शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रयोगशालाओं के लिये कुछ और उपकरणों एवं रसायन आदि की आवश्यकता है।**

स्थायी संबद्धता

04. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **स्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)	B.Ed. & M.Ed.		2024–25	1. डॉ. राजीव चौधरी, शारी.शिक्षा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. (श्रीमती)पद्मा बोहरे, पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा. रायपुर 3. डॉ. सॉम्या नैय्यर, प्रगति महा. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 02.09.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **वैध**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **स्वयं की भूमि**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **35 लाख रुपये जमा**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – --
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं के भवन में**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **उपलब्ध**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **पर्याप्त**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **उपलब्ध**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ –
    - I. **बस की सुविधा उपलब्ध**
    - II. **कैंटीन की सुविधा उपलब्ध**
    - III. **गर्ल्स हॉस्टल**
    - IV. **बॉयज हॉस्टल**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? –
    - i. **Reguler Staff - As per NCTE Norms**
    - ii. **Building - Complete**
    - iii. **Appoint of Staff - As per Norms**
    - iv. **College Coucil - constituted**
    - v. **NAAC- B+ As per IInd Cycle**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **Since College run PC Course in eduation (M.Ed.), it is suggested to purchase Research Journals.**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **N.A.**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii.	महर्षि वेद व्यास शासकीय महाविद्यालय, भखारा, जिला–धमतरी	M.A.-Hindi	30	2024–25	1. डॉ. आर.के. ब्रह्मे अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, शास. महाविद्यालय, खरोरा 4. डॉ. आर.के. दुबे, प्राचार्य, शहीद राजीव पाण्डेय शास. महा. भाठागांव, रायपुर
		M.A.-Economics	30		
		M.Com.	30		
		M.Sc. Zoology	30		
		M.Sc. Botany	30		

निरीक्षण तिथि : 13.09.2024

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – **लागू नहीं**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **10 एकड़**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **लागू नहीं**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **लागू नहीं**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **संचालन स्वयं के भवन में**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **उपलब्ध, आवश्यक उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित है।**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – **पर्याप्त, शासन द्वारा पद स्वीकृत एवं व्यवस्थानुसार शिक्षक उपलब्ध।**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता – **कुछ उपलब्ध / ग्रंथालय है। संदर्भ ग्रंथ क्रय किया जाना प्रस्तावित है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **खेलकूद के लिए मैदान, प्रसाधन कक्ष आदि उपलब्ध है।**
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?– **कर ली गई है।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **नैक द्वारा प्रत्यायित "C" ग्रेड (2.64)**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
    - i. **प्रयोगशाला उपकरण,**
    - ii. **संदर्भ ग्रंथ**

    की पर्याप्त मात्रा / संख्या सुनिश्चित किया जाए।

05. एम.एस–सी. प्रथम सेमेस्टर माईक्रोबायोलॉजी में एक सीट की वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

टीपः जैविकी अध्ययनशाला में एम.एस–सी. माइक्रोबायोलॉजी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए काउंसलिंग पूरी होने पर, दिनांक 05.07.2024 को सभी 14 सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो गई हैं।

आवेदक, श्री जागेश्वर साहू पुत्र श्री हरिराम साहू के पत्र दिनांक 9.9.2024 में उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन एवं छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए एम. एस–सी माइक्रोबायोलॉजी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निवेदन किया गया है। जैविकी अध्ययनशाला में एम.एस–सी. प्रथम सेमेस्टर माईक्रोबायोलॉजी में एक सीट की वृद्धि की अनुमति हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

06. **M.A. Yogashastra के आधार पर शारीरिक शिक्षा (Physical Education) विषय में पी–एच.डी. पात्रता के संबंध में विचार करना।**

टीप: आवेदिका शिक्षा शर्मा, कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक से सत्र 2019–21 में **M.A. Yogashastra** की परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर शारीरिक शिक्षा (**Physical Education**) विषय में इंटरडिसप्लीनरी विषय के रूप में पी–एच.डी. हेतु पात्रता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। शोधकार्य प्रवेश अर्हता संबंधी संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 की कंडिका 2 एवं 10(**f**) में उल्लेख है –

10(f) **A candidate shall ordinarily be permitted to work for Ph.D. degree in the subject in which he/she has obtained his/her post-graduate degree.**

Provided that research work leading to Ph.D. degree may be encouraged in allied subjects of interdisciplinary nature of the same faculty or of allied faculties. In such cases the candidate may also be permitted to work under one or two co-supervisors, along with the supervisor of the University.

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

07. **साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला में एम.ए. हिन्दी में 05 पेमेंट सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

टीप: साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला में एम.ए. हिन्दी में निर्धारित 20 सीटों पर दिनांक 16.08.2024 को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त हो रहा है। अतः एम.ए. हिंदी में 5 सीट वृद्धि हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

08. **इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला में एम.एस–सी. प्रथम सेमेस्टर में 05 अतिरिक्त सीट में प्रवेश के संबंध में विचार करना।**

टीप: इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला में शिक्षा सत्र 2024–25 में एम.एस–सी. प्रथम सेमेस्टर जिसमें 20 सीट है, जिसमें प्रवेश पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में छात्र–छात्राएं प्रवेश हेतु आ रहे हैं। एम.एस–सी. प्रथम सेमेस्टर शिक्षा सत्र 2024–25 में 5 अतिरिक्त सीट की अनुमति के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

09. **किरण उइके को विश्वविद्यालय द्वारा जारी B.N.Y.S. उपाधि के अनुरूप ही उपाधि की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप: किरण उइके, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय की बी.एन.वाई.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की थी विश्वविद्यालय द्वारा आवेदिका को नवम्बर 2008 में उपाधि प्रदान की गयी थी आवेदिका को प्रेषित उपाधि में श्रेणी का उल्लेख है। संकायाध्यक्ष आयुर्वेद संकाय ने दिनांक 22.08.2024 को उपाधि प्रारूप "एकवर्षीय इंटर्नशिप" के साथ प्रस्तुत की है उक्त प्रारूप में श्रेणी का उल्लेख नहीं है। अतः आवेदिका किरण उइके को विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि के अनुरूप ही उपाधि की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्रदान किये जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. **चार वर्षीय Bachelor of Physical Education & Sports (BPES) पाठ्यक्रम के नवीन अध्यादेश के संबंध में विचार करना।**

टीप: चार वर्षीय Bachelor of Physical Education & Sports (BPES) का नवीन अध्यादेश तैयार कर अध्ययन मण्डल से अनुमोदन पश्चात् अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 14.08.2024 के पद क्रमांक 2 पर अनुमोदित है। चार वर्षीय Bachelor of Physical Education & Sports (BPES) का नवीन अध्यादेश की अनुशंसा हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला–गरियाबंद को सत्र 2012–13 से नवीन कक्षा/सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

टीपः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.07.2024 में आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा जिला–गरियाबंद को सत्र 2012–13 से निम्नलिखित नवीन कक्षा/विषय एवं सीट वृद्धि हेतु महाविद्यालय से वर्तमान में कमरों क संख्या, प्रयांगशाला व नवीन विषय हेतु कमरों की उपलब्धता की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित कर आगामी बैठक में संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई है –

	कक्षा/संकाय/विषय	**सीट संख्या**
01	पी.जी.डी.सी.ए. (सीट वृद्धि)	20
02	डी.सी.ए. (सीट वृद्धि)	20
03	बी.ए. (सीट वृद्धि)	40
04	एम.ए. (भूगोल) (नवीन विषय)	20
05	एम.ए. (इतिहास) (नवीन विषय)	20

महाविद्यालय का पत्र क्रमांक 2245/ABASC/2024 दिनांक 01.08.2024 के द्वारा नवीन कक्षा/विषय एवं सीट वृद्धि हेतु वर्तमान में कमरों की संख्या, प्रयोगशाला व नवीन विषय हेतु कमरों की उपलब्धता की जानकारी प्रेषित की है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. **अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान में B.Voc. RETM (Renewable Energy Technology Management में 50 सीट से घटाकर 25 सीट किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीपः अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान में B.Voc. RETM में कुल प्रवेश सीट 50 है। विगत तीन वर्षों में प्रथम वर्ष प्रवेश का विवरण निम्नानुसार है –

S.No.	Session	Available Seats	Admitted
01	2021-22	50	15
02	2022-23	50	21
03	2023-24	50	7
04	2024-25	50	7 (आज तक)

प्रवेशित छात्रों की संख्या बहुत कम होने एवं विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम होने की वजह से वर्ष 2024–25 में कुल सीट की संख्या 50 से घटाकर 25 करने के हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

13. **शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) एम.ए. राजनीति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

टीप : शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) में एम.ए. राजनीति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर में आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 80/21/आउशि/ योजना/2024, दिनांक 14.08.2022 के द्वारा सत्र 2024–25 से सीट वृद्धि आदेश निम्नानुसार प्रदान किया गया है :–

क्र.	**कक्षा/विषय का नाम**	**निर्धारित सीट संख्या**	**वृद्धि हेतु मान्य सीट संख्या**	**सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या**
1.	एम.ए. राजनीति शास्त्र प्रथम सेमेस्टर	30	10	40

उपरोक्त सीट वृद्धि की सम्बद्धता के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. **स्नातक परीक्षा (बी.ए.,बी.एस.सी.,बी.कॉम.,बी.ए. क्लासिक्स) उत्तीर्णोपरांत अतिरिक्त प्रश्न–पत्र अनुमति के संबंध में विचार करना।**

टीपः *अध्यादेश क्रमांक 11,12, 21 एवं 23 के के प्रावधानानुसार* स्नातक परीक्षा (बी.ए.,बी.एस.सी., बी.कॉम,) उत्तीर्णोपरांत अतिरिक्त प्रश्न–पत्र की अनुमति चाहने वाले छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती रही है किंतु इस वर्ष 2024–25 से स्नातक स्तर पर NEP-2020 लागू है जो कि अध्यादेश क्रमांक 210 से संचालित होगा। अतः ऐसे अतिरिक्त प्रश्न–पत्र/विषय की अनुमति चाहने वाले छात्रों के प्रकरण के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा गठित समित का अभिमत है कि–

"अध्यादेश क्रमांक 11,12, 21 एवं 23 के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों का संचालन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्मित अध्यादेश क्रमांक–210 से संचालित होगी तथा पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली में संचालित किया जावेगा।

अतः पूर्व में वार्षिक प्रणाली से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को यह सुविधा सेमेस्टर प्रणाली के तहत प्रदान किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा।

तथापि चूंकि वर्ष 2024–25 में पूर्व के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए परीक्षा आयोजित किया जाना है। अतः केवल इस सत्र में इसे जारी रखा जा सकता है एवं आगामी सत्र से इसे बंद किया जाना उचित होगा तथा इस वर्ष ही अधिसूचित किया जाना उचित होगा कि आगामी सत्र से यह सुविधा समाप्त की जा रही है।"

समिति का उपरोक्त अभिमत विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

15. **संशोधित अध्यादेश क्रमांक 178 के अनुक्रम में M.Tech. Opto Electronics & Laser Technology के प्रस्तावित नवीन विनियम OPTOELECTRONICS & LASER TECHNOLOGY के संबंध में विचार करना।**

टीपः संशोधित अध्यादेश क्रमांक 178 के अनुक्रम में M.Tech. Opto Electronics & Laser Technology के प्रस्तावित OPTOELECTRONICS & LASER TECHNOLOGY नवीन विनियम अनुशंसा हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

16. **परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बलौदाबाजार को एलएल.बी. भाग–1 (सीट संख्या–60) सत्र 2025–26 की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।**

टीपः परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बलौदाबाजार की सम्बद्धता के संबंध में सत्र 2024–25 हेतु विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 11.06.2024 में 4(6)(c) में निर्णय लिया गया कि – **"एल.एल.बी. (सीट–60) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। एल.एल.बी. पाठ्यक्रम हेतु बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से मान्यता प्राप्त की जाए।" कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 को अनुमोदन किया गया है।**

महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्र. 05/2024 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा विधि की कक्षाएं प्रारंभ करने हेतु सम्बद्धता पत्र प्रदान करने का निवेदन किया गया है। विधि कक्षा प्रारंभ करने हतु विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर विधि की कक्षा प्रारंभ करने की सम्बद्धता पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की जानकारी देते हुए सत्र 2025–26 से विधि की कक्षा प्रारंभ करने की सम्बद्धता पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया है। बार कौंसिल ऑफ के नियम Act, 1961 की प्रति संलग्न है। पूर्व में अन्य महाविद्यालयों को विधि पाठ्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। अतः परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बलौदाबाजार को एलएल.बी. भाग–1 (सीट संख्या–60) सत्र 2025–26 की सम्बद्धता के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

17. माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित किये जाने तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3–31/2024/38–2 दिनांक 09.09.2024 के अनुक्रम में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 170 में किये गये संशोधनों को विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 4389/अका./2024, दिनांक 19.09.2024 के द्वारा अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप संशोधन को समाहित करते हुए संशोधित अध्यादेश क्रमांक 170 से संबंधित स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों को शिक्षा सत्र 2024–26 हेतु (परीक्षा दिसंबर–2024 प्रथम सेमेस्टर, मई–2025 द्वितीय सेमेस्टर, दिसंबर–2025 तृतीय सेमेस्टर, मई–2026 चतुर्थ सेमेस्टर) को प्रकाशित किया गया है, उक्त की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

18. स्व. जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद में पी.जी.डी.सी.ए. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

<u>टीप</u> : स्व. जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद में पी.जी.डी.सी.ए. में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र. एफ 3–96/2021/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10.06.2024 के द्वारा सत्र 2024–25 से सीट वृद्धि आदेश निम्नानुसार प्रदान किया गया है :–

क्र.	कक्षा/विषय का नाम	निर्धारित सीट संख्या	वृद्धि हेतु मान्य सीट संख्या	सीट वृद्धि उपरांत निर्धारित कुल सीट संख्या
1.	PGDCA (Self Finance)	30	30	60

उपरोक्त सीट वृद्धि की सम्बद्धता के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

19. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायुपर के बी.ए.एल.एल.बी. की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सत्र 2023–24 से 'स्व. राजीव खनूजा स्वर्ण–पदक' प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना।

<u>टीप</u> : दानदाता प्रोफेसर राज भारती खनूजा, एम.आई.जी.–10, सेक्टर–3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) द्वारा **'स्व. राजीव खनूजा स्वर्ण–पदक'** **(LATE. RAJEEV KHANUJA GOLD MEDAL)** के नाम से सत्र 2023–24 से बी.ए.एल.एल.बी. की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने हेतु बुक/रसीद क्रमांक B.No./R.No. 4539/08, Dated- 25-09-2024 के द्वारा रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) आदेशानुसार विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया गया है। इस आशय का प्रस्तावित विनियम की अनुशंसा एवं स्वर्ण–पदक प्रदान किए जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

20. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2024 के लिये Research Methodology के पाठ्यक्रम के निर्माण लिये गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की अनुशंसा पर विचार करना।

<u>टीप</u> : पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2024 के लिये Research Methodology के पाठ्यक्रम के निर्माण लिये गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की प्रति संलग्न है।

21. Policy for Professor of Practice in Pt. Ravishankar University (Based on National Education Polity 2020) विनियम क्रमांक 213 के अनुक्रम में समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला के अंतर्गत पद्मश्री श्री जागेश्वर राम यादव को छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बिरहोर जनजाति के सामाजिक शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर 15 वर्ष से भी अधिक समय से किये जा रहे योगदान को ध्यान में रखते हुए, Professor of Practice के रूप में अवसर दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार करना।

<u>टीप</u> : समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला से प्रस्तावित प्रस्ताव के पूर्व विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 89वीं बैठक शुक्रवार दिनांक 19.07.2024 को अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय के बिन्दु क्रमांक 3 में कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्य प्रो. रोहिणी प्रसाद द्वारा भी पद्मश्री श्री जागेश्वर राम यादव को समाजशास्त्र अध्ययनशाला के अंतर्गत Professor of Practice के रूप में अवसर दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

22. सत्र 2024–25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी
2	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका–निपनिया, जि.–बलौदाबाजार– भाटापारा (छ.ग.) 493118 (सत्र 2023–24 एवं 2024–25)
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा, जिला–महासमुंद
4	शास. नवीन महाविद्यालय, गुढ़ियारी, रायपुर
5	बुढ़ान शाह जी शास. महा. तेंदुकोना, जिला–महासमुंद (सत्र 2022–23 एवं 2023–24)
6	शास. गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महा. भाटापारा 493118
7	यशवंत राव मेघावले शास. महा., मगरलोड जिला– धमतरी (सत्र 2023–24)
8	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर
क्रमांक	**अशासकीय महाविद्यालय**
1	सजग महाविद्यालय, सारागांव, जिला–रायपुर
2	कृती इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्रा+पो.–नरदहा, रायपुर (छ.ग.) 493111
3	सेंट्रल कालेज आफ आई.टी., फाफाडीह, रायपुर
4	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट स्टडीज, विधानसभा रोड चंदखुरी, बलौदाबाजार रोड रायपुर
5	श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा, महाविद्यालय, जामगांव, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) 493992
6	गुरूकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी

23. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

20/2/9/24

कुलसचिव